

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक:प.४(ग)()नियम/डीएलबी/१८/ ६९३६
आदेश

जयपुर, दिनांक: २७/३/१९

राजस्थान नगरीय निकायों के समस्त कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों का आहरण प्री-पे-मेनेजर के माध्यम से कोषालय से होने के दृष्टिगत सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के नियम ३ में अंकित प्रावधानों के अनुरूप नगरीय निकायों के कार्यपालक अधिकारियों (आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) को कार्यलय अध्यक्ष घोषित किया जाता है तथा उक्त अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम ३ (बी) के अनुरूप आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
विभागाध्यक्ष स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक:प.४(ग)()नियम/डीएलबी/१८/ ६९३७-७०७५ दिनांक: २७/३/१९
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
02. महापौर/समापति/अध्यक्ष समस्त नगरनिगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
03. आयुक्त/अधिशासीअधिकारी, समस्त नगरनिगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
04. कोषाधिकारी, समस्त राजस्थान।
05. समस्त उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी